इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 422] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 15 अक्टूबर 2019—आश्विन 23, शक 1941

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 2019

क्र. 84 (9)-वि-निर्वा.-चार-2019-उपचुनाव-220.—भारत निर्वाचन आयोग का आदेश क्रमांक 3/4/ID/2019/SDR/VOL.I, दिनांक 12 अक्टूबर 2019 एवं उसका हिन्दी रूपान्तर सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

व्ही. एल. कान्ता राव, प्रमुख सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. 3/4/आई.डी./2019/एसडीआर/खण्ड-I दिनांक- 12 अक्टूबर, 2019

आदेश

1. यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह उपबंधित है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण करने की दृष्टि से, ताकि उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन वास्तविक निर्वाचकों का उनके मत देने के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करने के साधन के रूप में निर्वाचकों के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के उपयोग हेतु नियमों के द्वारा उपबंध किएजा सकते हैं; तथा

2. यतः, निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का नियम 28 निर्वाचन आयोग को, इस दृष्टि से कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण हो सके तथा मतदान के समय उनकी पहचान को सरल बनाया जा सके, निर्वाचकों को राज्य की लागत पर फोटोयुक्त निर्वाचक फोटो-पहचान पत्र जारी करने के लिए निदेश देने की शक्ति प्रदान करता है; तथा

3. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 ज(3) और 49 ट(2) (ख) में यह उपबंधित है कि जहां किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र दिए गए हैं, वहां निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र दिखाना होगा तथा उनकी ओर से उन निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों को नहीं दिखाए जाने यादिखाने में असमर्थ होने पर उन्हें मत डालने की अनुमति देने से इन्कार किया जा सकता है; तथा

4. यतः, उक्त अधिनियम और नियमों के उपर्युक्त उपबंधों को मिलाकर एवं सामंजस्यपूर्ण ढ़ंग से उनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम के होने से ही होता है, यह निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की लागत पर, मतदान के समय उनकी पहचान सुनिश्चित करने के साधनके रूप में प्रदान करवाए गए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, तथा दोनों का एक साथ प्रयोग करना होता है; तथा

5. यतः, निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम,1960 के नियम 28 के अधीन निर्वाचन आयोग ने एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र (ईपीआईसी) जारी करने का निदेश देते हुए 28 अगस्त, 1993 को एक आदेश जारी किया है; तथा

6. यतः, सभी राज्यों में बड़ी संख्या में निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं; तथा

7. अतः, अब, सभी संबद्ध कारकों तथा विधिक एवं तथ्यात्मक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा, यह निदेश देता है कि 16 राज्यों की 46 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों (संलग्नक-1 के अनुसार) एवं बिहार राज्य के 23-समस्तीपुर (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं महाराष्ट्र राज्य के 45- सतारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के चालू उप-निर्वाचनों, जोकि 23.09.2019 एवं 27.09.2019 को अधिसूचित किये गए

हैं, सभी निर्वाचक जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा:-

(i) पासपोर्ट;
(ii) ड्राइविंग लाइसेन्स,
(iii) राज्य / केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र,
(iv) बैंकों / डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक,
(v) पैन कार्ड,
(vi) एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड,
(vii) मनरेगा जॉब कार्ड,
(viii) श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,
(ix) फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,
(x) सांसदों, विधायकों / विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र
(xi) आधार कार्ड

8. एपिक के संबंध में, लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्ते निर्वाचक की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके । यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जाएंगे बशर्ते उस निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है उस मतदान केंद्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब निर्वाचक को उपर्युक्त पैरा 7 में वर्णित किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।

9. उक्त पैरा 7 में किसी बात के होते हुए भी, प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, मतदान केन्द्र मेंकेवलउनके मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।

आदेश से,

हस्ता./–
(एन. टी. भूटिया)
सचिव.

संलग्नक-I

क्रम सं.	राज्य	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्या
1.	अरूणाचल प्रदेश	56-खोन्सा (पश्चिम) (अ.ज.जा.)
2.	असम	1-रतबाडी (अ.जा.)
3.	असम	44-जनिया
4.	असम	74-रंगापारा
5.	असम	106-सोनारी
6.	बिहार	54-किशनगंज
7.	बिहार	76-सिमरी बख्तियारपुर
8.	बिहार	109-दरौंदा
9.	बिहार	158-नाथनगर
10.	बिहार	163-बेलहर
11.	छत्तीसगढ	87-चित्रकोट (अ.ज.जा.)
12.	गुजरात	8-थराद
13.	गुजरात	20-खेरालु
14.	गुजरात	50-अमराईवाडी
15.	गुजरात	122-लुणावाडा
16.	हिमाचल प्रदेश	18धर्मशाला
17.	हिमाचल प्रदेश	55-पच्छाद (अ.जा.)
18.	मध्य प्रदेश	193-झाबुआ (अ.ज.जा.)
19.	मेघालय	26-शेल्ला (अ.ज.जा.)
20.	उडीसा	2-बिजेपुर
21.	पुडुचेरी	10-कामराज नगर
22.	पंजाब	29-फगवाडा (अ.जा.)
23.	पंजाब	39-मुकेरियाँ
24.	पंजाब	68-दाखा
25.	पंजाब	79-जलालाबाद
26.	राजस्थान	28-मंडावा
27.	राजस्थान	110-खींवसर
28.	सिक्किम	10-पोकलोक-कामरंग
29.	सिक्किम	24-मारतम-रुमटेक (बी.एल)
30.	सिक्किम	27-गंगटोक (बी.एल)
31.	तमिलनाडु	75-विक्रावांडी
32.	तमिलनाडु	227-नानगुनेरी
33.	तेलंगाना	89-हुजूरनगर
34.	उत्तर प्रदेश	7-गंगोह
35.	उत्तर प्रदेश	37-रामपुर
36.	उत्तर प्रदेश	77-इगलास (अ.जा.)
37.	उत्तर प्रदेश	175-लखनऊ कैन्टोमैन्ट

38.	उत्तर प्रदेश	212-गोविन्दनगर
39.	उत्तर प्रदेश	237-मानिकपुर
40.	उत्तर प्रदेश	248-प्रतापगढ
41.	उत्तर प्रदेश	269-जैदपुर (अ.जा.)
42.	उत्तर प्रदेश	280-जलालपुर
43.	उत्तर प्रदेश	282-बलहा (अ.जा.)
44.	उत्तर प्रदेश	354-घोसी
45.	गुजरात	16-राधनपुर
46.	गुजरात	32-बायड

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 3/4/ID/2019/SDR/VOL.I Dated: 12th October, 2019

ORDER

1. Whereas, Section 61 of the Representation of the People Act, 1951 provides that with a view to preventing impersonation of electors, so as to make the right of genuine electors to vote under section 62 of that Act more effective, provisions may be made by rules under that Act for use of Electors Photo Identity Card for electors as the means of establishing their identity at the time of polling; and

2. Whereas, Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, empowers the Election Commission to direct, with a view to preventing impersonation of electors and facilitating their identification at the time of poll, the issue of Electors Photo Identity Card to electors bearing their photographs at State cost; and

3. Whereas, Rules 49H(3) and 49K (2) (b) of the Conduct of Elections Rules, 1961, stipulate that where the electors of a constituency have been supplied with Electors Photo Identity Card under the said provisions of Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, the electors shall produce their Electors Photo Identity Card at the polling station and failure or refusal on their part to produce those Electors Photo Identity Card may result in the denial of permission to vote; and

4. Whereas, a combined and harmonious reading of the aforesaid provisions of the said Act and the Rules, makes it clear that although the right to vote arises by the existence of the name in the electoral roll, it is also dependent upon the use of the Electors Photo Identity Card, where provided by the Election Commission at State cost, as the means of establishing their identity at the time of polling and that both are to be used together; and

5. Whereas, the Election Commission made an Order on the 28th August, 1993, directing the issue of Electors Photo Identity Card (EPIC) to all electors, according to a time bound programme; and

6. Whereas, Electors Photo Identity Card have been issued to a substantially large number of electors in all the States; and

7. Now, therefore, after taking into account all relevant factors and the legal and factual position, the Election Commission hereby directs that for current bye elections from **46 Assembly Constituencies(as per Annexure-I) of 16 States and the bye-elections from 23-Samastipur (SC) Parliamentary Constituency in the State of Bihar & 45-Satara Parliamentary Constituency in the State of Maharashtra,** which have been notified on **23-09-2019& 27-09-2019,** all electors who have been issued EPIC shall produce the EPIC for their identification at the polling station before casting their votes. Those electors who are not able to produce the EPIC shall produce one of the following alternative photo identity documents for establishing their identity: -

(i) Passport;
(ii) Driving License;
(iii) Service Identity Cards with photograph issued to employees by Central/State Govt. PSUs/Public Limited Companies;
(iv) Passbooks with photograph issued by Bank/Post Office;
(v) PAN Card;
(vi) Smart Card issued by RGI under NPR;
(vii) MNREGA Job Card;
(viii) Health Insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labour;
(ix) Pension document with photograph,
(x) Official identity cards issued to MPs/MLAs/MLCs
(xi) Aadhaar Card.

8. In the case of EPIC, clerical errors, spelling mistakes, etc. should be ignored provided the identity of the elector can be established by the EPIC. If an elector produces an Electors Photo Identity Card, which has been issued by the Electoral Registration Officer of another Assembly Constituency, such EPICs shall also be accepted for identification provided the name of that elector finds place in the electoral roll pertaining to the polling station where the elector has turned up for voting. If it is not possible to establish the identity of the elector on account of mismatch of photograph, etc. the elector shall have to produce one of the alternative photo documents mentioned in Para 7 above.

9. Notwithstanding anything in Para 7 above, overseas electors who are registered in the electoral rolls under Section 20A of the Representation of the People Act, 1950, based on the particulars in their Passport, shall be identified on the basis of their original passport only (and no other identity document) in the polling station.

By order,

Sd./-
(N. T. BHUTIA)
Secretary,

Annexure-I

Sl.No.	Name of State	Number and Name of Assembly Constituency
1.	Arunachal Pradesh	56-Khonsa (West)(ST)
2.	Assam	1-Ratabari (SC)
3.	Assam	44-Jania
4.	Assam	74-Rangapara
5.	Assam	106-Sonari
6.	Bihar	54-Kishanganj
7.	Bihar	76-Simri Bakhtiarpur
8.	Bihar	109-Daraunda
9.	Bihar	158-Nathnagar
10.	Bihar	163-Belhar
11.	Chhattisgarh	87-Chitrakot (ST)
12.	Gujarat	8-Tharad
13.	Gujarat	20-Kheralu
14.	Gujarat	50-Amraiwadi
15.	Gujarat	122-Lunawada
16.	Himachal Pradesh	18-Dharamshala
17.	Himachal Pradesh	55-Pachhad (SC)
18.	Madhya Pradesh	193 – Jhabua (ST)
19.	Meghalaya	26-Shella (ST)
20.	Odisha	2- Bijepur
21.	Pudducherry	10 – Kamraj Nagar
22.	Punjab	29-Phagwara (SC)
23.	Punjab	39-Mukerian
24.	Punjab	68 – Dakha

25.	Punjab	79 – Jalalabad
26.	Rajasthan	28-Mandawa
27.	Rajasthan	110-Khinwsar
28.	Sikkim	10 – Poklok-Kamrang
29.	Sikkim	24 – Martam-Rumtek (BL)
30.	Sikkim	27 – Gangtok (BL)
31.	Tamil Nadu	75- Vikravandi
32.	Tamil Nadu	227-Nanguneri
33.	Telangana	89-Huzurnagar
34.	Uttar Pradesh	7-Gangoh
35.	Uttar Pradesh	37-Rampur
36.	Uttar Pradesh	77-Iglas (SC)
37.	Uttar Pradesh	175 –Lucknow Cantt.
38.	Uttar Pradesh	212-Govindnagar
39.	Uttar Pradesh	237-Manikpur
40.	Uttar Pradesh	248-Pratapgarh
41.	Uttar Pradesh	269-Zaidpur (.SC)
42.	Uttar Pradesh	280-Jalalpur
43.	Uttar Pradesh	282-Balha (SC)
44.	Uttar Pradesh	354-Ghosi
45.	Gujarat	16-Radhanpur
46.	Gujarat	32-Bayad

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.